INDIA PARTNER Dabur GROUP

अवीवा धन वृद्धि प्लस

AVIVA
Life Insurance

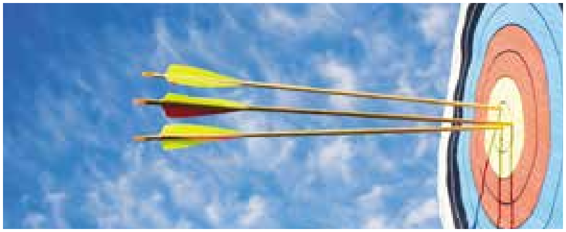

अवीवा धन वृद्धि प्लसः एक गैर–संपर्क, सहभागिता, सीमित भुगतान अक्षयनिधि बीमा योजना

हम सभी आकांक्षा रखते हैं कि हमारे सभी सपने साकार हो जाए – चाहे वो बच्चों की शिक्षा की जरूरतें पूरी करना हो, अपने लिए एक अच्छी रिटायरमेंट की योजना बनानी हो या सिर्फ यह कामना हो कि हमारा परिवार हमेशा वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे। जबकि हमारे सपने स्थिर हैं, वहीं यह अनिवार्य है कि इन सपनों को हासिल करने के लिए हमने जो पैसे बचा कर रखे हैं, वह बढ़ता रहे और वो भी बिना अधिक जोखिम के।

इसलिए हम आपके लिए लाए हैं अवीवा धन वृद्धि प्लस, एक पारंपरिक सीमित भुगतान सहभागिता योजना जो आपकी क्रमबद्ध तरीके से पैसे बचाने और धन–संग्रह करने में मदद करता है। योजना सुनिश्चित करती है कि आपको मैचुरिटी पर आपके द्वारा भुगतान की गई किस्तों के समान गारंटीड एकमूठ रकम और प्रोदभूत बोनस, यदि हो, मिले, जो आपकी बचत में वृद्धि सुनिश्चित करता है।

अवीवा धन वृद्धि प्लसः मुख्य विशेषताएं और लाभ

1. मैचुरिटी लाभः मैचुरिटी पर, आपके दीर्घावधि जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपको प्रोदभूत बोनस, यदि हो, के साथ–साथ गारंटीड लाभ के रूप में भुगतान की गई किस्तों का 100% रकम वापस मिलता है।
2. मृत्यु लाभः किसी भी आकस्मिकता के मामले में, आपके प्रिय जनों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
3. फ्लेक्सिबल किस्त भुगतान अवधिः आप मैचुरिटी पर आवश्यक रकम के आधार पर 5, 7 या 11 वर्षों के किस्त भुगतान अवधि में से चुनाव कर सकते हैं।

अवीवा धन वृद्धि प्लस – उत्पाद का विवरण

<table>
<tr><th>प्राचल</th><th colspan="3">मानदंड</th></tr>
<tr><td>न्यूनतम प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)</td><td colspan="3">18 वर्ष</td></tr>
<tr><td>अधिकतम प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)</td><td colspan="3">50 वर्ष</td></tr>
<tr><td>मैचुरिटी आयु (पिछला जन्मदिन)</td><td colspan="3">70 वर्ष</td></tr>
<tr><td>किस्त भुगतान अवधि (पीपीटी)</td><td colspan="3">5 वर्ष, 7 वर्ष और 11 वर्ष</td></tr>
<tr><td>पॉलिसी की अवधि (पीटी)</td><td colspan="3">20 वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="4">आश्वस्त रकम (एसए)</td><td>पीपीटी (वर्षोंमें)</td><td>न्यूनतम एसए (₹ में)</td><td>अधिकतम एसए प्रति जीवन (₹ में)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रवेश आयु 18–45 वर्षः 5 लाख
प्रवेश आयु 46–50 वर्षः 10 लाख</td><td rowspan="3">5 करोड़</td></tr>
<tr><td>7</td><td>5 लाख</td></tr>
<tr><td>11</td><td>3 लाख</td></tr>
<tr><td>वार्षिक किस्त (न्यूनतम)</td><td colspan="3">₹21,258 (सेवा कर और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)</td></tr>
<tr><td>वार्षिक किस्त (अधिकतम)</td><td colspan="3">₹4,868,500 (सेवा कर और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)</td></tr>
<tr><td>किस्त भुगतान आवृत्ति</td><td colspan="3">केवल वार्षिक</td></tr>
</table>

कृपया ध्यान दें:

1. करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
2. पॉलिसी को तत्काल वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 9% प्रति वर्ष के मासिक चक्रवृद्धि दर पर ब्याज अदा करके पूर्व–दिनांकित किया जा सकता है।

मामले का अध्ययन

श्री शर्मा जी 30 वर्ष के वैतनिक कर्मचारी हैं। उनकी एक 5 साल की बेटी है सानवी। श्री शर्मा जी सानवी की शादी के लिए पैसे बचाने की योजना बना रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए अवीवा धन वृद्धि प्लस खरीदते हैं।

अवीवा धन वृद्धि प्लस शर्मा जी के लिए कैसे काम करता है?

चरण 1: श्री शर्मा जी अपने लक्ष्य के रूप में अपनी बेटी सानवी की शादी के लिए 11–भुगतान 20–वर्ष की पॉलिसी चुनते हैं।

चरण 2: वे रु. 16.31 लाख के आश्वस्त रकम के लिए हर वर्ष रु. 1,00,000 की बचत करना चुनते हैं।

परिदृश्य 1: श्री शर्मा जी सभी देय किस्तों का भुगतान करते हैं और पॉलिसी की अवधि के अंत तक जीवित रहते हैं।

पॉलिसी मैच्योर होने पर श्री शर्मा जी को निम्न रकम मिलते हैं:

मैचुरिटी पर देय गारंटीड लाभ	₹1,100,000
उपार्जित बोनस 8% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार	₹1,596,282
मैचुरिटी पर कुल लाभ (गारंटीड लाभ + उपार्जित बोनस 8% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार)	**₹2,696,282**
उपार्जित बोनस 4% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार	₹609,816
मैचुरिटी पर कुल धन–संग्रह (गारंटीड लाभ + उपार्जित बोनस 4% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार)	**₹1,709,816**

परिदृश्य 2: श्री शर्मा जी पांच किस्तों का भुगतान करने के बाद 5 वें वर्ष में गुजर जाते हैं।

श्री शर्मा जी के परिवार को निम्नलिखित लाभ मिलता है:

मृत्यु आश्वस्त रकम	₹1,630,523
उपार्जित बोनस 8% प्रति वर्ष के दर पर, 5 वें वर्ष के अंत तक निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार	₹290,233
मृत्यु पर कुल लाभ (मृत्यु आश्वस्त रकम + उपार्जित बोनस 8% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार)	**₹1,920,756**
उपार्जित बोनस 4% प्रति वर्ष के दर पर, 5 वें वर्ष के अंत तक निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार	₹110,876
मृत्यु पर कुल लाभ (मृत्यु आश्वस्त रकम + उपार्जित बोनस 4% प्रति वर्ष के दर पर, निवेश रिटर्न के अनुमान अनुसार)	₹1,741,399

ध्यान दें:

उपरोक्त मामले का अध्ययन केवल एक उदाहरण मात्र है और किसी भी तरह से अधिकारों और/या लाभों का उत्तरदायित्व निर्माण नहीं करता है। पॉलिसी की वास्तविक रिटर्न विथ लाभ निधि में अनुभव के आधार पर ऊपर प्रदर्शित रिटर्न से अलग हो सकती है। उपरोक्त परिदृश्य 4% और 8% के अनुमानित निवेश रिटर्न के लिए प्रदर्शित किया गया है।

अवीवा धन वृद्धि प्लस – बोनस

इस उत्पाद में लिखित विथ लाभ पॉलिसियां पार फंड के लाभों में भाग लेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा आश्वस्त रकम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त एक सरल प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा की जाएगी। सरल प्रत्यावर्ती बोनस एक–बार घोषित हो जाने के बाद गारंटीड बन जाएगा और पॉलिसी के साथ जुड़ा रहेगा और मृत्यु या पॉलिसी के मैचुरिटी के समय देय होगा।

टर्मिनल बोनस, आश्वस्त रकम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त, यदि हो, की यदि घोषणा हुई है, तो मृत्यु, समर्पण या मैचुरिटी के कारण पॉलिसी अनुबंध समाप्त होने पर दिया जाएगा।

सरल प्रत्यावर्ती बोनस पॉलिसी के अधीन उपार्जित होंगे यदि प्रोदभवन की तिथि तक सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया है।

अवीवा धन वृद्धि प्लस –योजना के लाभ

घटनाए	लाभ कब और किस तरह देय हैं?	ऐसे लाभों का आकार
मैचुरिटी	पॉलिसी की मैचुरिटी पर देय	भुगतान की गई किस्तों की 100% रकम वापसी (किसी कर और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) + निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस + टर्मिनल बोनस (यदि हो)। मैचुरिटी लाभ देने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त लाभ देय है यदि सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो।
मृत्यु लाभ	बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय	पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु होने पर, निम्नलिखित लाभों का भुगतान किया जाएगा: • मृत्यु आश्वस्त रकम, सहित • निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, सहित • टर्मिनल बोनस (यदि हो) मृत्यु आश्वस्त रकम निम्न में से सर्वाधिक रकम के रूप में परिभाषित है: • वार्षिकृत किस्त का 10 गुना (अतिरिक्त किस्त और/या करों, यदि हो, के रूप में भुगतान की गई किसी रकम को छोड़कर) • मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई सभी किस्तों का 105% (अतिरिक्त किस्त और/या करों, यदि हो, के रूप में भुगतान की गई किसी रकम को छोड़कर) • पॉलिसी की आश्वस्त रकम • पॉलिसी की मैचुरिटी आश्वस्त रकम बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त लाभ देय है बशर्ते सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो।

अवीवा धन वृद्धि प्लस के साथ अपने रकम की सुरक्षा की पुष्टि करें

आपकी किस्त हमारे सहभागिता निधि में निवेश की जाएगी जो इस प्रकार के उत्पादों के लिए उपलब्ध आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार मुख्य रूप से सुरक्षित निवेशों में ही निवेश करता है।

अवीवा धन वृद्धि प्लस – व्यपगत, प्रदत्त, रिवाइवल और समर्पण के प्रावधान

यदि दो वर्षों के किस्त से कम रकम अदा की गई है:

- पॉलिसी के पहले 2 वर्षों के दौरान, यदि छूट की अवधि समाप्त होने से पहले बकाया किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित किए बिना व्यपगत हो जाएगी।
- एक व्यपगत पॉलिसी को प्रथम बकाया किस्त की तिथि से दो वर्षों (रिवाइवल अवधि) के अंतर्गत विलंबित किस्त पर 9% प्रति वर्ष का ब्याज, मासिक चक्रवृद्धि के साथ सभी बकाया किस्तों का भुगतान करके रिवाइव किया जा सकता है।
- यदि व्यपगत पॉलिसी को प्रथम बकाया किस्त की तिथि से दो वर्षों (रिवाइवल अवधि) के अंतर्गत रिवाइव नहीं करवाया गया, तो रिवाइवल अवधि के अंत में वार्षिक किस्त (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 30% रकम भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- छूट की अवधि समाप्त होने के बाद रिवाइवल अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में वार्षिक किस्त (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर) का 100% रकम भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि कम से कम दो वर्षों की किस्त अदा की गई है:

कम से कम पहले दो वर्षों की किस्त भुगतान करने के बाद, उसके बाद छूट की अवधि समाप्त होने से पहले यदि किसी देय किस्त का भुगतान नहीं किया गया है:

- पॉलिसी अपघटित लाभों सहित एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी।
- एक प्रदत्त पॉलिसी भविष्य में कोई भी सरल प्रत्यावर्ती बोनस पाने का अधिकारी नहीं होगा। हालांकि, एक प्रदत्त पॉलिसी के अधीन भविष्य के सभी लाभों के भुगतान के लिए, एक प्रदत्त पॉलिसी बनने की तिथि से पहले निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस पर विचार किया जाएगा।
- एक व्यपगत पॉलिसी को प्रथम आदत बकाया किस्त की तिथि से दो वर्षों (रिवाइवल अवधि) के अंतर्गत विलंबित किस्त पर 9% प्रति वर्ष का ब्याज, मासिक चक्रवृद्धि के साथ सभी बकाया किस्तों का भुगतान करके रिवाइव किया जा सकता है।
- यदि व्यपगत पॉलिसी को रिवाइवल अवधि के अंतर्गत रिवाइव नहीं करवाया गया, तो पॉलिसी अपघटित लाभों के साथ एक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

कंपनी को कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति के अनुसार एक व्यपगत/प्रदत्त पॉलिसी को रिवाइव करने का अधिकार आरक्षित है। एक व्यपगत/ प्रदत्त पॉलिसी की रिवाइवल रिवाइवल शुल्क के भुगतान के अधीन है, जो ₹ 250/– है।

एक प्रदत्त पॉलिसी के अधीन लाभ:

- **मृत्यु लाभ**

  पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को नीचे विहित प्रदत्त आश्वस्त रकम के साथ सरल प्रत्यावर्ती बोनस और टर्मिनल बोनस, यदि हो, का भुगतान किया जाएगा। मृत्यु लाभों का भुगतान करने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

प्रदत्त आश्वस्त रकम होगी {मृत्यु आश्वस्त रकम X भुगतान की गई किस्तों की संख्या ÷ पॉलिसी के अधीन देय किस्तों की कुल संख्या}

- **मैचुरिटी लाभ**

  बीमित व्यक्ति का मैचुरिटी तिथि तक जीवित रहने के मामले में नीचे विहित प्रदत्त मूल्य के साथ टर्मिनल बोनस, यदि हो का भुगतान किया जाएगा। प्रदत्त मूल्य का भुगतान करने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

प्रदत्त मूल्य = भुगतान की गई किस्तों का कुल योग* + निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस

*किस्तों में अतिरिक्त किस्त और करों, यदि हो के लिए भुगतान की गई रकम शामिल नहीं है।

समर्पण मूल्य

एक पॉलिसी का समर्पण किया जा सकता है बशर्ते कम से कम दो वर्षों की किस्त अदा की गई हो। देय समर्पण मूल्य वह होगा जो आश्वस्त समर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी) में से अधिक हो।

गारंटीड समर्पण मूल्य (जीएसवी) :

जीएसवी = (भुगतान की गई किस्त* X भुगतान की गई किस्तों से संबंधित जीएसवी घटक) सहित (निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस X बोनस से संबंधित जीएसवी घटक)

*किस्तों में अतिरिक्त किस्त और करों, यदि हो के लिए भुगतान की गई रकम शामिल नहीं है।

समर्पण की पॉलिसी वर्ष	जीएसवी घटक (भुगतान की गई किस्तों से संबंधित)		
	किस्त भुगतान अवधि (वर्षों में)		
	5	7	11
दूसरा और तीसरा	30%	30%	30%
चौथा से तेरह वां	50%	50%	50%
14th	55%	55%	55%
15th	60%	60%	60%
16th	70%	67%	65%
17th	75%	72%	70%
18th	80%	77%	75%
19th	85%	83%	80%
20th	90%	90%	90%

समर्पण की पॉलिसी वर्ष	जीएसवी घटक (निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस के संबंध में)
2	13%
3	15%
4	17%
5	19%
6	21%
7	23%
8	26%
9	29%
10	33%
11	36%
12	41%
13	46%
14	51%
15	57%
16	64%
17	71%
18	80%
19	89%
20	100%

इन दोनों गारंटीड समर्पण मूल्य घटकों को कंपनी द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी):

एसएसवी = प्रदत्त मूल्य × एसएसवी घटक

विशेष समर्पण मूल्य घटक (एसएसवी) की गारंटी नहीं है और कंपनी द्वारा आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन सहित समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है। कंपनी समर्पण की टर्मिनल बोनस का भुगतान भी कर सकती है।

एक बार पॉलिसी समर्पण के पात्र होने पर, अवीवा से संपर्क करके एक पॉलिसी के संबंध में विशेष समर्पण मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

कर लाभ

कर लाभ कर अधिनियम, 1961 की धारा 80C और 10 (10D) के अनुसार होगा। कर लाभ प्रचलित कर विधियों के अनुसार हैं जो समय–समय पर परिवर्तन के अधीन है।

छूट की अवधि

बिना किसी ब्याज या जुर्माने के किस्त चुकाने के लिए किस्त भुगतान के नियत तिथि से 30 दिनों की छूट की अवधि की अनुमति है।

आत्महत्या दावा के उपबंध और अपवाद (यदि हो)

आत्महत्या करने की कोशिश करने या वास्तव में आत्महत्या करने के कारण 12 महीनों के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में:

i. पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

ii. पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य (गारंटीड समर्पण मूल्य विशेष समर्पम मूल्य जो भी अधिक हो), यदि हो, में से अधिक होगा।

नामांकन एवं समनुदेशन:

इस पॉलिसी के अधीन समय–समय पर संशोधन के अनुसार नामांकन, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार, की अनुमति है। नामांकित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के घटना में लाभों के भुगतान का दावा करने और प्राप्त करने के पात्र होगा।
इस पॉलिसी के अधीन समय–समय पर संशोधन के अनुसार नामांकन, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार, की अनुमति है। समनुदेशन का उपयोग पॉलिसी के अधीन अधिकारों के अंतरण के लिए किया जा सकता है। पॉलिसी के समनुदेशन पर नामांकित व्यक्ति स्वतः रूप से अपने अधिकार खो देता है।

ऋण

अवीवा इस पॉलिसी के प्रति ऋण प्रस्तुत नहीं करेगी।

स्वीकृति:

कंपनी द्वारा सम्पूर्ण प्रस्ताव और शुरुआती भुगतान ग्रहण किए जाने से कंपनी के पक्ष में जोखिमों की अंडरराइटिंग का कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता है, कंपनी तब तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक वह जोखिमों की अंडरराइटिंग करके पॉलिसी जारी न कर ले।

फ्रीलूक अवधि:

पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा की जा सकती है। यदि इस फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द की जाती है, तो कंपनी चिकित्सीय परीक्षा, यदि हो, पर वहन किए गए व्यय और स्टैम्प ड्यूटी काटने के बाद किस्त की रकम वापस लौटा देगी। इसके अतिरिक्त, पॉलिसी जारी होने से पूर्व प्रस्ताव वापस होने के मामले में, देय वापसी रकम से चिकित्सीय परीक्षा शुल्क काट लिया जाएगा।

"अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.avivaindia.com पर 'नियम एवं शर्तें' देखें।"

अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया– डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 16 देशों में 31 मिलियन ग्राहक हैं (जुलाई 2014 को)।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41, समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737

AVIVA

| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210

वेबसाइटः www.avivaindia.com

ई–मेलः customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDAI पंजीकरण संख्या : 122

निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा धन वृद्धि प्लस नॉन–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कृपया घ्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा।

UIN: 122N110V01, MKT/जुलाई 2017/Ver.1.2, Advt No. Jul 23/17